CNR No-UPJL010053792019
JO Code-UP06483

Presented on : 24-09-2019
Registered on : 24-09-2019
Decided on : 16-05-2026
Duration : 6 years, 7 months, 22 days

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई
उपस्थितः मुन्ना प्रसाद (एच0जे0एस0)
दाण्डिक वाद संख्या–865/2019

उ0प्र0 राज्य ....लोक अभियोजक

बनाम

भगवती प्रसाद पुत्र मनीराम, निवासी ग्राम आटा, थाना आटा, जिला जालौन।
..................अभियुक्त

अ0सं0–21/2019
धारा–138(1)(बी) विद्युत अधिनियम
थाना–आटा, जिला जालौन।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक वाद में अभियुक्त भगवती प्रसाद का विचारण थाना आटा, जिला जालौन की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 21/2019, अन्तर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम में प्रेषित आरोपपत्र के आधार पर किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि जगदीश वर्मा, अवर अभियन्ता मय संविदाकर्मी बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश एवं रामनरेश के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत राजस्व वसूली अभियान के अन्तर्गत दिनांक 15.02.2019 को समय 11.30 ए0एम0 बजे ग्राम आटा विद्युत निरीक्षण करने गये। चैकिंग के दौरान संयोजन सं0 1122403050259 भगवती प्रसाद पुत्र अज्ञात पर पूर्व में बकाया बिल 115408/–रूपये पर काटा गया संयोजन पुनः जुड़ा हुआ पाया गया।

3. वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना आटा में दिनांक 17.02.2019 को समय 23.05 बजे अभियुक्त भगवती प्रसाद के विरूद्ध मु0अ0सं0 21/2019, धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। प्रकरण में विवेचना की गयी। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना संकलित की गयी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त भगवती प्रसाद के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिस पर दिनांक

24.09.2019 को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को सम्मन जारी किया गया।

4. अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित आने पर, नकलें प्राप्त कराने के उपरान्त उसके विरूद्ध दिनांक 29.04.2023 को न्यायालय द्वारा धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने कथानक के समर्थन में पी0डब्लू01 जगदीश वर्मा, अवर अभियन्ता, पी0डब्लू02 रामनरेश, संविदाकर्मी एवं पी0डब्लू03 प्रदीप कुमार, उपनिरीक्षक को परीक्षित कराया गया है।

6. अभियोजन पक्ष द्वारा तहरीर को प्रदर्श क–1, नक्शा नजरी को प्रदर्श क–2, आरोपपत्र को प्रदर्श क–3, तथा कायमी जी.डी. को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित कराया गया है।

7. अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 दिनांक 21.01.2026 को अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत होना, उच्चाधिकारियों के प्रभाव में आकर गलत तहरीर देना व साबित कराया जाना तथा उसके खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत किया जाना बताया है।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का सम्यक् परिशीलन किया।

9. अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनांक 15.02.2019 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त पूर्व में बकाये बिल के कारण काटे गये विद्युत संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुए पाये गये। अभियोजन साक्षीगण के बयानों से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है। अतः अभियुक्त को धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जाये।

10. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियोजन साक्षीगण के बयानों में घोर विसंगति एवं विरोधाभास है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं होती है। कथित चैकिंग के संबंध में कोई चैकिंग रिपोर्ट, वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी, फर्द बरामदगी/सीजर मेमो आदि पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। मौके से कोई भी कटिया/तार बरामद नहीं किया गया है और न ही न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मौके की नक्शा नजरी भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं करायी गयी है। मौके पर कथित चैकिंग अथवा कथित तार बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। अभियोजन साक्षीगण के बयानों से यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व में अभियुक्त का विद्युत कनेक्शन कब काटा गया तथा पूर्व में कनेक्शन काटे जाने या पूर्व का विद्युत बिल

बकाया होने के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जबकि अभियुक्त का सम्पूर्ण बिल की धनराशि जमा है। इन आधारों पर बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

11. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन मामले की सत्यता का निर्धारण करने हेतु पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरान्त निम्नवत निष्कर्ष निकाला जाता हैः–

12. अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों में अभियोजन साक्षी **वादी मुकदमा पी0डब्लू01 जगदीश वर्मा, अवर अभियन्ता** द्वारा अपने सशपथ बयान में कथन किया गया है कि दिनांक 15.02.2019 को उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व वसूली हेतु अभियान चलाकर विद्वुत निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया। उस समय मेरी तैनाती 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र आटा में थी। अतः मैं अपने संविदाकर्मियों बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश, रामनरेश के साथ ग्राम आटा में पूर्व में काटे गये संयोजनों को निरीक्षण करने गया था। उस दिन मेरे द्वारा पूर्व में काटे गये संयोजनों में से 12 व्यक्तियों द्वारा विद्युत राजस्व जमा किये बिना अपना संयोजन जोड़कर विद्युत का उपयोग करते पाये गये। उक्त सभी 12 व्यक्तियों के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138(1)(बी) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी, जिसमें से उक्त 12 व्यक्तियों में से 10वें स्थान पर भगवती प्रसाद का नाम भी अंकित था। पत्रावली में तहरीर कागज सं0 5क मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं तथा उस पर मेरे साथीगणों के भी हस्ताक्षर हैं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

13. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू02 रामनरेश, संविदाकर्मी** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 15.02.2019 को मय जगदीश वर्मा, अवर अभियन्ता, बृजेश कुमार व चन्द्रप्रकाश संविदाकर्मी के साथ उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार विद्युत राजस्व वसूली अभियान के अन्तर्गत समय 11.30 दिन में ग्राम आटा में विद्युत निरीक्षण करने गये। वहां पर पाया कि कुछ उपभोक्ताओं का विद्युत बिल बकाया होने के कारण पूर्व में अस्थायी विच्छेदन किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उपभोक्ताओं ने अपना राजस्व जमा किये बिना ही संयोजन पुनः स्वयं जोड़कर सुचारू कर लिया। तहरीर जगदीश वर्मा, अवर अभियन्ता द्वारा लिखकर थाना आटा में दी गयी थी। पत्रावली में कागज सं0 5क तहरीर को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है, जो थाना आटा में दी गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, इसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 पूर्व से अंकित है। मेरे बयान दरोगा जी ने लिये थे।

14. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू03 प्रदीप कुमार, उपनिरीक्षक** ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि मैं दिनांक 17.02.2019 को थाना आटा में उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था। उसी दिनांक को मुझे विवेचना प्राप्त हुई थी। दिनांक 18.02.2019 को पर्चा नं० 1 किता किया, जिसमें नकल प्रथम एफ0आई0आर0, नकल रपट, बयान लेखक एफ0आई0आर0, हे०का० के बयान अंकित किये। पर्चा नं0 2 दिनांक 15.03.2019 को किता किया, जिसमें बयान वादी जगदीश वर्मा, अवर अभियंता व बयान बृजेश कुमार, संविदाकर्मी व रामनरेश, संविदाकर्मी के बयान अंकित किये व निरीक्षण घटनास्थल उसी दिन वादी मुकदमा के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा अभियुक्त के बयान अंकित किये थे। पत्रावली में संलग्न कागज सं० 8क देखकर साक्षी ने कहा कि नक्शा नजरी मेरे द्वारा मौके पर बनाया गया था, जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। उसी दिनांक को अभियुक्त भगवती प्रसाद पुत्र मनीराम निवासी ग्राम आटा, थाना आटा, जिला जालौन के विरूद्ध धारा 138(1)(बी) का अपराध साबित होने पर अभियुक्त का चालान जरिये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया। साक्षी ने देखकर कहा कि पत्रावली में संलग्न कागज सं० 3क/1 लगायत 3क/2 आरोप पत्र कम्प्यूटराइज है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर बने हैं, मैं अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली में कागज सं० 7क जी0डी0 30, दिनांक 17.02.2019 समय 23:05 बजे हे0का० विनोद कुमार सी0सी0टी0एन0एस0 के द्वारा तैयार की गयी। विनोद कुमार मेरे साथ तैनात रहे है। मैंने इनको लिखते पढते देखा है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली में कागज सं0 6क/1 लगायत 6क/2 चिक एफ0आई0आर0 कम्प्यूटर के द्वारा विनोद कुमार के द्वारा तैयार की गयी थी, जिस पर एस0एच0ओ0 के हस्ताक्षर है। मै उनके साथ तैनात रहा हूँ, मैने उनको लिखते पढते देखा है। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

15. इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण ने उपरोक्तानुसार साक्ष्य दी है। उपरोक्त साक्षियों की प्रतिपरीक्षा में आये सुसंगत तथ्यों का उल्लेख निर्णय में आगे साक्ष्य की विवेचना के दौरान यथास्थान किया जायेगा।

16. जहाँ तक बचावपक्ष की ओर से दिये गये इस तर्क का प्रश्न है कि अभियोजन द्वारा कथित चैकिंग के समय मौके पर उपस्थित सभी साक्षीगण के बयान नहीं कराये गये हैं तो इस संबंध में तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2019 को वादी मुकदमा जगदीश वर्मा अवर अभियंता के साथ संविदाकर्मी रामनरेश तथा उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा मौके पर अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से विद्युत चोरी किया जाना पाते हुए वादी मुकदमा अवर अभियंता, जगदीश वर्मा द्वारा तहरीर प्रदर्श क–1 संबंधित थाना पर दी गयी।

साक्षी पी०डब्लू०1 वादी मुकदमा जगदीश वर्मा अवर अभियंता ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा मौके से तहरीर को प्रदर्श क1 के रूप में साबित किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में बतौर साक्षी पी०डब्लू०1 वादी मुकदमा ने कथन किया है कि मैंने अभियुक्त भगवती प्रसाद के खिलाफ एफ.आई.आर. किसी कारणवश दिनांक 17.02.2019 को करायी थी। मैं अपने संविदाकर्मी बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश, रामनरेश के साथ चैकिंग पर गये थे। मैं बकाया विद्युत बिल की वसूली हेतु भगवती प्रसाद के घर गया था। भगवती प्रसाद का मकान आटा बस स्टैण्ड के समीप था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहे गये कथनों से भी साबित किया है कि वादी मुकदमा, संविदाकर्मी बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश, रामनरेश के साथ दिनांक 15.02.2019 को भगवती प्रसाद के घर गया था व चैकिंग की थी।

17. साक्षी पी०डब्लू०2 के रूप में अभियोजन की ओर से मौके पर चैकिंग हेतु गयी विद्युत टीम के सदस्य संविदाकर्मी रामनरेश को परीक्षित कराया गया है जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए कथित समय व दिनांक को वादी मुकदमा अवर अभियंता जगदीश वर्मा के साथ चैकिंग टीम के सदस्य के रूप में ग्राम आटा जाकर चैकिंग किये जाने, वादी मुकदमा द्वारा तथा वादी मुकदमा के साथ जाकर तहरीर थाने पर दिये जाने तहरीर प्रदर्श क1 पर अपने हस्ताक्षर होने का कथन किया है तथा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मैं दिनांक 15.02.2019 को चैकिंग के लिये गया था। मेरे साथ अवर अभियन्ता जगदीश प्रसाद व संविदाकर्मी चन्द्रप्रकाश व बृजेश कुमार भी गये थे। मैंने जे0ई0 के साथ 12 घरों में विद्युत चैकिंग की। मैंने चैकिंग के दौरान तार काटा था। भगवती प्रसाद का घर आटा बस स्टैण्ड पर है। घर के दरवाजे पर पोल लगा है। हमने आस पास के लोगों से पूछा था तो भगवती प्रसाद के पिता का नाम पता चला था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहे गये कथनों से भी साबित किया है कि वादी मुकदमा, संविदाकर्मी बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश के साथ दिनांक 15.02.2019 को भगवती प्रसाद के घर गया था व चैकिंग की थी।

18. बचावपक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में चिक एफ.आई.आर. लेखक व जी०डी० कायमी लेखक को परीक्षित नहीं कराया गया है जो अभियोजन कथानक में संदेह उत्पन्न करता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि साक्षी पी०डब्लू०3/विवेचक/उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि पत्रावली में कागज सं0 7क जी.डी. 30 दिनांक 17.02.2019, समय 22.05 बजे हे0कां0 विनोद कुमार, सी.सी.टी.एन.एस. के द्वारा तैयार की गयी। विनोद कुमार मेरे साथ में तैनात रहे। मैंने इनको लिखते पढ़ते देखा है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली में कागज सं0

6क/1 व 6क/2 चिक एफ.आई.आर. कम्प्यूटर के द्वारा विनोद कुमार के द्वारा तैयार की गयी, जिस पर एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर हैं, मैं उनके साथ में तैनात रहा हूं, मैंने उनको लिखते पढते देखा है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहे गये कथनों से पत्रावली में दाखिल चिक एफ.आई.आर. व जी.डी. को विनोद कुमार द्वारा लिखा गया साबित किया है तथा यह भी साबित किया है कि कां0 विनोद कुमार उक्त साक्षी के साथ में तैनात रहे हैं तथा उनको लिखते पढ़ते हुए देखा है। उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा साक्षी पी०डब्लू०3 से प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है जिससे जी०डी० कायमी प्रदर्श क–5 व चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–6 के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता हो या इससे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। साक्षी पी०डब्लू०3 ने अपने साक्ष्य के माध्यम से चिक एफ.आई.आर. व जी०डी० कायमी को विधितः साबित किया है। विधिनुसार चिक एफ.आई.आर. व जी०डी० कायमी लेखक एक औपचारिक साक्षी होता है उसका तथ्य की साक्ष्य से कोई सीधा संबंध नहीं होता इसलिए चिक एफ.आई.आर. लेखक व जी०डी० कायमी लेखक को परीक्षित न कराये जाने मात्र से अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार बचावपक्ष द्वारा दिये गये इस तर्क में कोई बल नहीं है कि चिक एफ.आई.आर. व जी०डी० कायमी लेखक को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन के लिए घातक होगा।

19. बचावपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि कथित चैकिंग दल द्वारा मौके पर अभियुक्त के परिसर में जाकर चैकिंग नहीं की गयी और न ही अभियुक्त मौके पर कोई अवैध विद्युत संयोजन करके विद्युत चोरी करता पाया गया। चैकिंग टीम द्वारा अभियुक्त के परिसर से कथित विद्युत चोरी हेतु प्रयुक्त की जा रही कोई केबिल व तार बरामद नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्यों में घटना के तथ्यों के बिंदु पर कई विरोधाभास एवं विसंगतियां हैं, जो अभियोजन कथानाक की सत्यता एवं कथित बरामदगी को अविश्वसनीय दर्शित करते हैं।

20. बचाव पक्ष द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों के संबंध में तहरीर प्रदर्श क1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्युत टीम द्वारा दिनांक 15.02.2019 को मौके पर अभियुक्त के परिसर पर जाकर विद्युत चैकिंग की गयी तो मौके पर अभियुक्त गांव आटा में चैकिंग के दौरान अभियुक्त पूर्व में बकाये बिल के कारण काटे गये विद्युत संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुए पाये गये। तहरीर प्रदर्श क–1 में अंकित उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि मौके पर चैकिंग दल के सदस्यों के रूप में उपस्थित अवर अभियंता जगदीश वर्मा व संविदाकर्मी रामनरेश द्वारा बतौर अभियोजन साक्षीगण क्रमशः पी०डब्लू०1 तथा पी०डब्लू०2 अपने बयानों में

की गयी है जिसमें कोई विरोधाभास नहीं है तथा उक्त साक्षीगणों ने अपनी–अपनी प्रतिपरीक्षा में भी यह स्पष्ट कथन किया गया है कि भगवती प्रसाद का मकान आटा बस स्टैण्ड के समीप था। उक्त से भी यह साबित है कि उक्त साक्षीगण भगवती प्रसाद के मकान पर चैकिंग करने गये थे।

21. बचावपक्ष का तर्क है कि विवेचक द्वारा विवेचना सही प्रकार से नहीं की गयी है, मौके पर नियमानुसार नक्शा नजरी तैयार नहीं किया गया बल्कि थाने में बैठकर सारी कार्यवाही की गयी है तथा एक ही दिन में सबके बयान अंकित कर लिये गये हैं। जबकि अभियोजन का यह तर्क है कि विवेचक द्वारा वादी मुकदमा की निशानदेही पर मौके पर जाकर नियमानुसार नक्शा नजरी तैयार की गयी है तथा नियमानुसार विवेचना करते हुए साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं। विवेचक ने बतौर साक्षी पी०डब्लू०3 अपने बयान में कथन किया है कि दिनांक 18.02.2019 को पर्चा नं० 1 किता किया, जिसमें नकल प्रथम एफ0आई0आर0, नकल रपट, बयान लेखक एफ0आई0आर0, हे०का० के बयान अंकित किये। पर्चा नं0 2 दिनांक 15.03.2019 को किता किया, जिसमें बयान वादी जगदीश वर्मा, अवर अभियंता व बयान बृजेश कुमार, संविदाकर्मी व रामनरेश, संविदाकर्मी के बयान अंकित किये व निरीक्षण घटनास्थल उसी दिन वादी मुकदमा के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा अभियुक्त के बयान अंकित किये थे। उसी दिनांक को अभियुक्त भगवती प्रसाद पुत्र मनीराम निवासी ग्राम आटा, थाना आटा, जिला जालौन के विरूद्ध धारा 138(1)(बी) का अपराध साबित होने पर अभियुक्त का चालान जरिये आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैंने नक्शा नजरी कागज सं0 8क देखकर कहा इसमें विद्युत पोल व डोरी का कोई उल्लेख किया है, न ही नक्शे में दर्शाया है तथा साक्षी पी0डब्लू02 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि नक्शा मेरे सामने बनाया था। पत्रावली में नक्शा नजरी कागज सं0 8क दाखिल है। जिसको साक्षी पी0डब्लू03 ने प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। विवेचक ने नक्शा नजरी में मकान भगवती प्रसाद पुत्र मनीराम को X से प्रदर्शित किया है। उक्त निशान पर ही अभियुक्त द्वारा अस्थायी संयोजन विच्छेदन के बाद बिना राजस्व जमा किये संयोजन को सुचारू रूप से चालू कर विद्युत का उपभोग करना बताया गया है। इस प्रकार बचाव पक्ष का यह तर्क कि विवेचक द्वारा विवेचना सही प्रकार से नहीं की गयी है व नक्शा नजरी नहीं तैयार किया गया है, निराधार है।

22. जहां तक बचावपक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि विवेचक को यह जानकारी भी नहीं है कि आटा में लाइट की सप्लाई कब शुरू हुई तो इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू०3 प्रकरण का विवेचक है जिनका कार्य प्रकरण की विवेचना करना था तथा विवेचक

से यह अपेक्षित नहीं है कि उसे गांव में विद्युत सप्लाई कब शुरू हुई इस तथ्य की भी सटीक जानकारी हो।

23. बचावपक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है, सभी साक्षी विभागीय व पुलिस कर्मचारी हैं, उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है, कथित जांच करने वाली टीम के सभी सदस्यों को अभियोजन द्वारा बतौर साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है। इस क्रम में अभियोजन की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि जांच टीम में मौजूद रहे वादी मुकदमा अवर अभियंता जगदीश वर्मा तथा संविदाकर्मी रामनरेश व प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार को बतौर साक्षी क्रमशः पी०डब्लू1, पी०डब्लू02 व पी०डब्लू03 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने अपने साक्ष्यों से अभियोजन कथानक की पुष्टि की है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो तीन साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, इन साक्षीगण के साक्ष्य में ऐसा कोई सारवान विरोधाभास अथवा तात्विक विसंगति परिलक्षित नहीं होती है जिसके आधार पर इन साक्षीगण के साक्ष्य को असत्य, अविश्वसनीय या अस्वाभाविक माना जा सके। इनकी प्रतिपरीक्षाओं में जो छोटे मोटे विरोधाभास आये हैं, वे स्वाभाविक एवं तुच्छ प्रकृति के हैं, इनसे अभियोजन कथानक पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

24. उपरोक्त वर्णित तीनों अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने साक्ष्य के माध्यम से किसी सारवान विसंगति अथवा विरोधाभास के बगैर यह स्थापित किया गया है कि दिनांक 18.02.2020 को वादी मुकदमा अवर अभियंता श्री जगदीश वर्मा व अन्य हमराही कर्मचारीगण द्वारा समय 11.30 बजे दोपहर ग्राम आटा में अभियुक्त भगवती प्रसाद को पूर्व में बकाये बिल के कारण काटे गये विद्युत संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू०1 व पी०डब्लू०2 के द्वारा उक्त कार्यवाही के संबंध में तहरीर देकर थाने में अभियोग पंजीकृत कराये जाने का तथ्य प्रमाणित किया गया है तथा विवेचक पी०डब्लू०3 द्वारा दौरान विवेचना मौके का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार करके समुचित व पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जाना प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार उक्त सीमा तक अभियोजन कथानक पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित होना पाया जाता है तथा इस स्तर तक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य में समुचित एकरूपता व तारतम्यता है, ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये कथित घटना के चक्षुदर्शी व जांचदल के सदस्य के रूप में घटनास्थल पर मौजूद रहे अधिकारी/कर्मचारीगण एवं पी०डब्लू०1 व पी०डब्लू०3 तथा विवेचक पी०डब्लू०2 द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य से अभियोजन कथानक

को साबित किया गया है, मात्र विभागीय व पुलिस साक्षी होने के आधार पर ही उक्त साक्षीगण के सशपथ कथनों व अभियोजन मामले की विश्वसनीयता को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि स्थापित की जा चुकी है कि दाण्डिक विचारण में साक्ष्य की बाहुल्यता/मात्रा नहीं वरन् साक्ष्य की गुणवत्ता सारवान मानी जाती है। धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन किसी तथ्य विशेष को सिद्ध करने के निमित्त साक्षियों की कोई विनिर्दिष्ट संख्या प्रावधानित नहीं है एवं दाण्डिक विचारण में साक्षियों की बहुसंख्यता विधायिका की मंशा भी नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विधि को और प्रमाणित करते हुये यह अवधारित किया गया कि यदि एक मात्र साक्षी का सशपथ मौखिक साक्ष्य भी विश्वसनीयता के मानक पर खरा पाया जाता है, तब ऐसे एक मात्र साक्षी के साक्ष्य के आधार पर ही दोषसिद्धि भी की जा सकती है, जैसाकि निर्णयज विधि **जरनैल सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2009(1) सुप्रीम, 224, चाको बनाम केरल राज्य, 2004(48) ए सी सी 450 तथा लल्लू माँझी बनाम झारखण्ड राज्य, ए आई आर 2003 एस सी 854** के माध्यम से स्थापित किया गया है। निर्णयज विधि **अशोक कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य, 2008 (61) ए सी सी 972 एस सी** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि स्थापित की गई कि यदि न्यायालय में परीक्षित साक्षी अन्यथा विश्वसनीय एवं असंदिग्ध पाया जाता है तब ऐसे साक्षी द्वारा सिद्ध किये जाने वाले तथ्य को अग्रेतर अन्य साक्षियों से सिद्ध कराया जाना कदापि आवश्यक नहीं है, भले ही उक्त तथ्य के अन्य साक्षी उपलब्ध हों।

25. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रश्नगत प्रकरण के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों की समीक्षा से यह स्पष्ट है कि पी०डब्लू01 वादी मुकदमा अवर अभियंता जगदीश वर्मा तथा पी०डब्लू02 रामनरेश, संविदाकर्मी द्वारा उक्त जाँच दल के सदस्य के रूप में कथित घटना के समय अपनी उपस्थिति मौके पर होना प्रमाणित करते हुये सम्पूर्ण घटनाक्रम को अपने मौखिक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। विधि यह है कि यदि साक्ष्य में कोई सारवान विसंगति, विरोधाभास अथवा भिन्नता आदि नहीं है तो मात्र कुछ सामान्य, नैसर्गिक व तुच्छ विरोधाभासों व भिन्नताओं आदि के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। सारवान विसंगति व सामान्य विसंगति में यह भेद है कि तुच्छ विसंगतियाँ पक्षकार के मामले की विश्वसनीयता को दूषित नहीं करती है, जैसाकि मा० सर्वोच्च न्यायालय व मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्णयज विधि **Jagat Singh Vs- State of UP AIR, 2009 SC 958 Sanjay Vs- State of UP, 2008 (62) ACC, 52 All- (DB); Mukesh Vs. State for NCT of Delh, AIR 2017 SC 2161** आदि विभिन्न विधि–व्यवस्थाओं के माध्यम से स्थापित किया गया है। निर्णयज विधि **Shivappa Vs. State**

of Karnataka, AIR 2008 SC 1860 के माध्यम से मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अन्यथा विश्वसनीय होने की दशा में मात्र तुच्छ विसंगतियों के आधार पर संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसी विसंगतियाँ साक्षियों के सामाजिक पृष्ठभूमि व समय अंतराल के कारण स्वाभाविक होती है। निर्णयज विधि **Bhagwan Jagannath Markad Vs. State of Maharashtra, (2016) 10 SCC 537** के माध्यम से मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन साक्षियों के सशपथ मौखिक साक्ष्य में सामान्य विरोधाभास आना स्वाभाविक है, जो वस्तुतः साक्षी के साक्ष्य की सत्यता व विश्वसनीयता का समर्थन करता है।

26. जहाँ तक बचाव पक्ष के इस तर्क का प्रश्न है कि मौके का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नहीं है, तो इस संबंध में अभियोजन का यह तर्क विश्वसनीय एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है कि चूंकि सामान्तया जाँच दल के सदस्य विभागीय कर्मचारी/सरकारी व्यक्ति होते हैं, ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि किसी सरकारी व्यक्ति के कहने पर अभियुक्त के ही गांव के व आस–पड़ोस के व्यक्ति भलाई बुराई के कारण या अभियुक्त से आपसी संबंधों के कारण सामान्तया अभियुक्त के विरूद्ध गवाही के लिए आसानी से तैयार नहीं होते हैं। इस तथ्य के संबंध में बचाव, पक्ष की ओर से किसी भी अभियोजन साक्षी से प्रतिपरीक्षाओं में कोई सुझावात्मक प्रश्न/चैलेन्ज भी नहीं किया गया है। इसलिए बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि कोई स्वतंत्र जनसाक्षी को परीक्षित न कराया जाना अभियोजन के लिए घातक होगा।

27. बचावपक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है। इस संबंध में तहरीर प्रदर्श क–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथित चैकिंग दिनांक 15.02.2019 को की गयी है तथा चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–5 के अनुसार मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट एंटी पावर थेप्ट थाने पर दिनांक 17.02.2019 को 23.05 बजे दर्ज हुई है तथा घ टनास्थल ग्राम आटा से थाना की दूरी लगभग 01 किलो मीटर होना दर्शित है। इस संबंध में वादी मुकदमा साक्षी पी०डब्लू1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि पत्रावली में तहरीर कागज सं0 5क मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पुष्टि करता हूं, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया तथा उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि मैंने भगवती प्रसाद के खिलाफ दिनांक 17.02.2019 को एफ.आई.आर. करायी थी। चूंकि उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि दिनांक 15.02.2019 को समय 11.30 बजे ग्राम आटा में विद्युत निरीक्षण करने वादी मुकदमा व संविदाकर्मी श्री बृजेश कुमार, चन्द्रप्रकाश व रामनरेश साथ में गये थे तथा निरीक्षण के दौरान 12 व्यक्तियों के द्वारा बिना राजस्व जमा किये अपना संयोजन जोड़कर विद्युत का प्रयोग करते

हुए पाये गये तथा वादी मुकदमा द्वारा उक्त की एफ.आई.आर. दिनांक 17.02.2019 को करायी गयी है तो यदि वादी मुकदमा द्वारा उक्त एफ.आई.आर. घटना की दिनांक को ही नहीं करायी गयी है तो मात्र इसके आधार पर अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

28. बचावपक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त को रंजिशन फसाया गया है। अभियुक्त ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० में कथन किया है कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा पंजीकृत हुआ व गवाहों द्वारा उच्चाधिकारियों के प्रभाव में झूठा फंसा दिया।

29. इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से सूची दिनांकित 11.02.2026 से विद्युत बिल दिनांक 27.09.2022, 29.06.2022, 29.06.2022, 01.02.2020, 04.03.2021, 01.02.2020, प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी विद्युत विभाग, उरई दिनांक 12.10.2022, रसीद दिनांकित 29.06.2022, शपथपत्र दिनांकित 13.09.2007, मुआवजा रसीद दिनांक 10.08.2007, अस्थायी विच्छेदन आदेश दिनांक 03.10.2019, मीटर सीलिंग दिनांक 02.03.2021, मकान गिरने की फोटो, कनेक्शन रसीद सं0 50259 दिनांक 29.10.2004, विच्छेदन तिथि 07.12.2008, कनेक्शन विच्छेदन रसीद दिनांक 20.02.2019, जमा रसीद दिनांक 22.12.2012 एवं जमा रसीद दिनांक 25.02.2016 दाखिल किये गये हैं। उक्त अभिलेखीय साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.09.2022 को 16,327/—रूपये व अन्य तिथियों पर विद्युत बिल जमा किया गया है। उक्त विद्युत बिल में बकाया धनराशि भी अभिलिखित है। पत्रावली में अस्थायी विच्छेदन आदेश भी दाखिल किया गया है।

30. अभियुक्त द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षी श्यामबाबू को डी0डब्लू01 के रूप में परीक्षित कराया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि भगवती प्रसाद मेरे गांव के हैं, जिनका हाइवे के किनारे मकान था। वहां पंक्चर की दुकान रखे थे। दिनांक 17.02.2019 को वहीं पर मैं था लेकिन उस समय उनका कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था क्योंकि इनका सन 2017 में मकान गिर गया था। खम्भा लगे थे। हाइवे बनते समय खम्भे टूट गये थे। सन 2022 में इनका मकान ध्वस्त हो गया था। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि भगवतीप्रसाद मेरे गांव के हैं और गांव के नाते से मैं भतीजा लगता हूं। मैं गुप्ता समाज से हूं। भगवती प्रसाद आज मुझे बुलाकर लाये हैं। मुझे नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भगवती प्रसाद को विद्युत विभाग के द्वारा कोई नोटिस दिया गया हो।

31. उक्त साक्षी के बयान की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि वह दिनांक 17.02.2019 को भगवती प्रसाद के मकान पर ही था। जबकि उक्त घटना दिनांक 15.02.2019 की है। उक्त से स्पष्ट है कि घटना की दिनांक

व समय पर उक्त साक्षी घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया गया है कि दिनांक 17.02.2019 को भगवती प्रसाद का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था जबकि अभियुक्त द्वारा पत्रावली में सूची दिनांकित 11.02.2026 से विद्युत बिल दिनांक 27.02.2022, 29.06.2022, 01.02.2020, 04.03.2021, 12.10.2022 व अन्य तिथियों का दाखिल किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी का कथन सत्य प्रतीत नहीं होता कि दिनांक 17.02.2019 को भगवती प्रसाद का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं था। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व प्रपत्रों से बचाव पक्ष का तर्क साबित नहीं होता है तथा यह भी साबित नहीं होता कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त से अवैध धनराशि की मांग की गयी हो और इस कारण झूठा मुकदमा लिखा दिया गया हो।

32. प्रश्नगत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम का आरोप है, जिसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप को साबित करने हेतु यह साबित कराया जाना आवश्यक होता है कि मौके पर घटनास्थल का उचित एवं अधिकृत निरीक्षण किया गया हो, मौके पर चैकिंग/निरीक्षण आख्या तैयार की गयी हो, मौके पर निरीक्षण/चैकिंग के समय जब्त किये गये केबिल/तार को न्यायालय में प्रस्तुत करके साक्ष्य में साबित कराया गया हो, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार की गयी हो तथा साथ ही अभियुक्त को चौकिंग परिसर और विद्युत के अवैध उपभोग से सीधे तौर पर जोड़ा जाना भी आवश्यक है। प्रश्नगत मामले में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभियोजन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों से उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के साथ–साथ कथित निरीक्षण/चैकिंग के समय अभियुक्त के द्वारा मौके पर केबिल डालकर विद्युत चोरी किये जाने का तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है। अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों में कोई महत्वपूर्ण विसंगति अथवा कोई तात्विक विरोधाभास नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक संदेह से परे पुष्टि होती है।

33. प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में की गयी उपरोक्त समस्त परिचर्चा, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्यों की गहन समीक्षा एवं विश्लेषण करने तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुस्थापित विधियों के गहन अनुशीलन के उपरांत यह साबित होना पाया जाता है कि अभियुक्त भगवती प्रसाद द्वारा दिनांक 15.02.2019 को समय लगभग 11.30 बजे ग्राम आटा में पूर्व में बकाये बिल के कारण काटे गये विद्युत संयोजन को पुनः अवैध रूप से जोड़कर चोरी से विद्युत का उपभोग

करते हुए पाये गये। निष्कर्षतः अभियुक्त भगवती प्रसाद द्वारा कारित कृत्य से धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम का अपराध पूर्णरूपेण गठित होता है जिसे अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है।

34. इस प्रकार उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आधार पर अभियुक्त भगवती प्रसाद के विरूद्ध धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होना पाया जाता है। तदनुसार अभियुक्त भगवती प्रसाद धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अभियुक्त भगवती प्रसाद को धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

35. अभियुक्त भगवती प्रसाद जमानत पर है और वह न्यायालय में उपस्थित है अभियुक्त के जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को उनके जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच उपरांत पुनः पेश हो।

दिनांक 16.05.2026

(मुन्ना प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

16.05.2026

लंच उपरांत पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पुनः प्रस्तुत हुई। दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को दण्ड के प्रश्न पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

दोषसिद्ध की ओर से न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना करते हुए कथन किया गया है कि वह गरीब व बुजुर्ग व्यक्ति है, उसके जेल में रहने से उसके परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति भरण पोषण करने वाला नहीं है। दोषसिद्ध का यह प्रथम अपराध है अतः मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों में दोषसिद्ध की आयु व परिस्थितियां जिनमें अपराध कारित हुआ है, को देखते हुए दोषसिद्ध को न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध को अधिक से अधिक दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित कृत्य से राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है, जिसका बकाया विद्युत बिल 95,694/–रूपये तथा शमन शुल्क 2000/–रूपये व राजस्व निर्धारण धनराशि 1267/–रूपये है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में दोषसिद्ध द्वारा कारित किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध भगवती प्रसाद को निम्न दंडादेश से दंडित किये जाने से न्याय की मंशा पूर्ण होती है।

आदेश

दोषसिद्ध भगवती प्रसाद को दाण्डिक वाद संख्या 865/2019, सरकार बनाम भगवती प्रसाद, अपराध संख्या 21/2019 के प्रकरण में धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम के अपराध के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास व 1000/–रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा उक्त अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

यदि दोषसिद्ध इस मामले मे पूर्व में कारागार में निरूद्ध रहा हो तो वह अवधि इस दंडादेश की अवधि में समायोजित की जाएगी। दोषसिद्ध का सजायावी वारण्ट तैयार कर जिला कारागार जालौन स्थान उरई प्रेषित किया जाए। निर्णय की एक प्रति दोषसिद्ध को निःशुल्क प्रदान की जाए।

दिनांक 16.05.2026

(मुन्ना प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया ।

दिनांक 16.05.2026

(मुन्ना प्रसाद)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),
जालौन स्थान उरई।